

प्रारंभिक परीक्षा

डी मिनिमिस रेगुलेशन(De Minimis Regulation)

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 29 अगस्त, 2025 से कम मूल्य की वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त आयात छूट (जिसे डी मिनिमिस नियम के रूप में जाना जाता है) को समाप्त कर दिया है।

डी मिनिमिस रेगुलेशन क्या है?

- यह एक व्यापार नियम है जो छोटे मूल्य के आयातों को सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना किसी देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
- इसे 1930 के टैरिफ अधिनियम की धारा-321 के तहत स्थापित किया गया था।
- 1990 के दशक में इसे छोटे शिपमेंट्स की लागत कम करने के लिए व्यापार सुविधा उपाय के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया।
- अमेरिका में यह कैसे काम करता था:
 - प्रति व्यक्ति प्रति दिन \$800 तक मूल्य वाली किसी भी आयातित वस्तु को शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति थी।
 - इससे उपभोक्ताओं के लिए विदेश से सस्ते सामान ऑनलाइन खरीदना आसान हो गया।
- डी मिनिमिस के तहत आयात 2015 में 134 मिलियन से बढ़कर 2024 में 1.36 बिलियन तक पहुँच गए।
 - प्रतिदिन लगभग 4 मिलियन पार्सल शुल्क-मुक्त प्रोसेस किए जाते थे।

स्रोत: [द हिंदू](#)

अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट(State of Economy Report)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की।

अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट क्या है?

- **प्रकाशक:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)।
- **प्रकृति:** यह एक आंतरिक मूल्यांकन है, न कि RBI का आधिकारिक नीति वक्तव्य।
- **उद्देश्य:**
 - भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा प्रदान करना।
 - मुद्रास्फीति, विकास, व्यापार, वित्तीय बाजारों और ऋण स्थितियों में रुझानों को उजागर करना।
 - नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और जनता को विकसित हो रही व्यापक आर्थिक स्थिति को समझने में सहायता प्रदान करना।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु -

- **मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण**
 - 2025 में CPI आधारित मुद्रास्फीति 4% से काफी नीचे रहने की उम्मीद है।
 - खाद्य कीमतों पर नरम दबाव और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में और गिरावट आने की संभावना है।
 - मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, लेकिन पूरे वर्ष का औसत 4% के लक्ष्य से नीचे रहेगा।
 - जुलाई 2025 में CPI मुद्रास्फीति 1.6% रही, जो जून 2025 में 2.1% थी।
- **खाद्य कीमतें**
 - **अनाज:** कीमतों में वृद्धि दिख रही है।
 - **दालें:** मिश्रित रुख - तुअर/अरहर दाल की कीमतों में गिरावट, चना दाल की कीमतों में बढ़ोतरी।
 - **खाद्य तेल:** सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन गुलाब; ताड़ का तेल स्थिर।
 - **सब्जियां:** टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं; आलू और प्याज स्थिर हैं।
- **ईंधन की कीमतें**
 - **पेट्रोल और डीजल:** अगस्त में खुदरा कीमतें अपरिवर्तित रहीं।
 - **केरोसीन:** कीमतें बढ़ीं।
 - **एलपीजी:** कीमतें अपरिवर्तित।
- **विकास दृष्टिकोण**
 - अनुकूल मानसून की स्थिति खरीफ उत्पादन को समर्थन देती है।

- वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में ग्रामीण मांग मजबूत हो सकती है।
- भारत-अमेरिका व्यापार नीति अनिश्चितताओं से जोखिम बना हुआ है।
- **उद्योग और सेवाएँ**
 - जुलाई 2025 के लिए PMI (क्रय प्रबंधक सूचकांक) ने दर्शाया:
 - विनिर्माण और सेवा दोनों में उच्च इनपुट मूल्य विस्तार।
 - दोनों क्षेत्रों के लिए बिक्री मूल्य में भी वृद्धि हुई।
- **ऋण वृद्धि और वित्तपोषण**
 - जून 2025 में बैंक ऋण वृद्धि में सुधार हुआ, जिसका नेतृत्व एमएसएमई ऋण ने किया।
 - वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का समग्र प्रवाह बढ़ा।
 - बड़े निगमों ने वित्तपोषण के लिए तेजी से बाजार साधनों (वाणिज्यिक पत्र, कॉर्पोरेट बांड) की ओर रुख किया।

स्रोत: [द हिंदू बिज़नेसलाइन](#)



भारत और अमेरिका में जमानत प्रणाली की कार्यप्रणाली

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नकद रहित जमानत (Cashless Bail) को निशाना बनाते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उनका तर्क है कि इससे अपराध में वृद्धि होती है। इसने विभिन्न देशों में जमानत प्रणालियों के अलग-अलग ढंग से काम करने पर बहस को फिर से तेज कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है।

जमानत प्रणाली क्या है?

- किसी आरोपी व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने की कानूनी प्रक्रिया है, आमतौर पर इस शर्त पर कि वे मुकदमे के लिए अदालत में उपस्थित होंगे।
- उद्देश्य:
 - मुकदमे के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
 - व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के हित के साथ संतुलित करना।
- कानूनी प्रणाली के आधार पर जमानत में मौद्रिक जमा, जमानत या व्यक्तिगत वचन शामिल हो सकते हैं।

भारत में जमानत -

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 (पहले CRPC, 1973) के अध्याय-35 द्वारा शासित।
- जमानत के प्रकार:
 - बांड: अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होने के वादे पर हस्ताक्षर करता है।
 - जमानत बांड: एक जमानतदार (परिवार/मित्र/नियोक्ता) अभियुक्त की उपस्थिति की गारंटी देता है, कभी-कभी भुगतान के साथ।
 - व्यक्तिगत पहचान (PR) बांड: बिना मौद्रिक भुगतान के रिहाई, केवल एक लिखित वादा, आमतौर पर जब अभियुक्त जमानत का खर्च वहन नहीं कर सकता।
- मुद्दा: कई विचाराधीन कैदी जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहते हैं, क्योंकि वे छोटी जमानत राशि (5,000 रुपये जितनी कम) भी नहीं दे सकते।
- सुधार:
 - सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने विधिक सेवा प्राधिकरणों को गरीब विचाराधीन कैदियों की सहायता करने का निर्देश दिया।
 - विधि आयोग (268वीं रिपोर्ट, 2017) ने मौद्रिक जमानत को भेदभावपूर्ण और संवैधानिक लोकाचार के विरुद्ध बताया।

भारत बनाम अमेरिका मामले में जमानत

पहलू	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
शासी कानून	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023	राज्य-विशिष्ट कानून; न्यायिक उदाहरणों द्वारा निर्देशित
जमानत के प्रकार	बांड, जमानत बांड (जमानत के साथ), पीआर बांड	नकद जमानत, नकद रहित जमानत (कुछ राज्यों में), जमानत बांड
उद्देश्य	मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना; स्वतंत्रता और न्याय में संतुलन बनाना	सुनिश्चित करना कि आरोपी फरार न हो या गवाहों के साथ छेड़छाड़ न करे
मौद्रिक तत्व	अक्सर जमानत या बांड की आवश्यकता होती है; पीआर बांड के माध्यम से माफ किया जा सकता है	नकद जमानत जमा पर मजबूत निर्भरता
मुख्य चिंता	कई विचाराधीन कैदी छोटी सी रकम भी चुकाने में असमर्थ होने के कारण जेल में बंद हैं	नकद जमानत से गरीब लोग जेल में रहते हैं; अमीर लोग भुगतान करके रिहा हो सकते हैं
सुधार प्रयास	विचाराधीन कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश; विधि आयोग ने कम वित्तीय ध्यान देने का सुझाव दिया	कुछ राज्य कैशलेस जमानत का प्रयोग कर रहे हैं; ट्रम्प का आदेश इसे सीमित करने का प्रयास करता है

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

जुगनुओं की जैव-प्रदीप्ति(Bioluminescence of Fireflies)

संदर्भ

तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जुगनुओं की जैव-प्रदीप्ति किस प्रकार वन स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करती है तथा प्राकृतिक अंधकार उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।

जैव प्रदीप्ति(Bioluminescence) क्या है?

- यह जीवित जीवों की रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करने और उत्सर्जित करने की क्षमता है।
- जुगनुओं(fireflies) में यह प्रक्रिया उनके उदर(abdomen) में होती है।
- यह जुगनुओं में कैसे काम करता है: रासायनिक प्रतिक्रिया में लूसिफेरिन (एक प्रकाश उत्सर्जक यौगिक), लूसिफेरेज (एक एंजाइम), एटीपी (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) (ऊर्जा अणु), ऑक्सीजन शामिल हैं।
 - जब लूसिफेरिन, लूसिफेरेज और एटीपी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो यह "ठंडा प्रकाश" (बहुत कम गर्मी, ज्यादातर दृश्य प्रकाश) उत्पन्न करता है।
 - प्रकाश की चमक जुगनु के तंत्रिका तंत्र और ऑक्सीजन आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होती है।

जुगनु क्यों चमकते हैं?

- **संभोग संकेत:** विभिन्न प्रजातियों में साथी को आकर्षित करने के लिए अद्वितीय प्लैश पैटर्न होते हैं।
- **शिकारी निरोध:** चमक शिकारियों को विषाक्तता या खराब स्वाद का संकेत देती है।
- **संचार:** प्रजातियों की पहचान और समूहों में समन्वय के लिए उपयोग किया जाता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

BioCARE (जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुनः अभिविन्यास) कार्यक्रम

संदर्भ

हाल ही में, BioCARE कार्यक्रम के लिए चयनित 75 महिलाओं को स्वीकृति पत्र और वेतन में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे उनके शोध कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

कार्यक्रम के बारे में -

- **उद्देश्य:** यह जैव प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में महिला शोधकर्ताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समर्पित है, तथा उन लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है, जिन्हें पहले से बाह्य अनुसंधान अनुदान नहीं मिला है।
- **पहल:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा
- **कवर किए गए विषय:** समर्थन कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिनमें शामिल हैं:
 - पशु और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी
 - बायोइंजीनियरिंग और बायोमटेरियल्स
 - चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी
 - पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी और जैव ऊर्जा
 - पादप और कृषि जैव प्रौद्योगिकी
- **आयु सीमा:** अभ्यर्थियों को होना चाहिए
 - महिलाएं <55 वर्ष, कोई पूर्व बाह्य पीआई अनुदान नहीं, बेरोजगार/अस्थायी भूमिकाएं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

भारती पहल

संदर्भ

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने “खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र हितधारकों की बैठक” के दौरान भारती नामक एक नई पहल शुरू की है।

भारती पहल(BHARATI Initiative) क्या है?

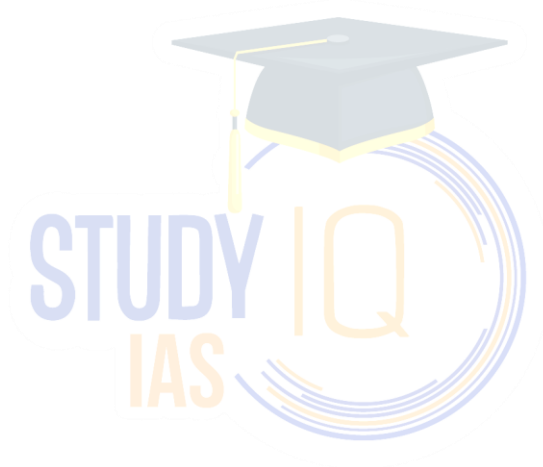
- **पूरा नाम:** Bharat's Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Enablement अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन का भारत का केंद्र
- **उद्देश्य:**
 - प्रतिवर्ष 100 कृषि-खाद्य और कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना।
 - कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में नवाचार, निर्यात तत्परता और स्थिरता को बढ़ावा देना।
- **फोकस क्षेत्र:** जीआई उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, सुपरफूड, आयुष उत्पाद, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, एआई-आधारित गुणवत्ता जांच, आईओटी कोल्ड चेन, टिकाऊ पैकेजिंग।
- **विजन:** 2030 तक 50 बिलियन डॉलर का कृषि-खाद्य निर्यात प्राप्त करना, भारत के वैश्विक कृषि-व्यापार को मजबूत करना।
- **संरचना:**
 - चयनित स्टार्टअप्स के लिए उत्पाद विकास, निर्यात तत्परता, अनुपालन और बाजार पहुंच पर 3 महीने का त्वरण कार्यक्रम।
 - राज्य बोर्डों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईआईटी/एनआईटी और उद्योग निकायों के साथ सहयोगात्मक समर्थन।

APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के बारे में -

- **स्थापना:** 1986, APEDA अधिनियम, 1985 के तहत
- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- **अधिदेश एवं कार्य:**
 - अनुसूचित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का संवर्धन एवं विकास।
 - अनुसूचित उत्पादों में शामिल हैं: फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी, डेयरी उत्पाद, शहद, गुड़, मादक और गैर-मादक पेय, अनाज, मूंगफली, पुष्पकृषि उत्पाद आदि।
 - **निर्यात सुविधा:**
 - वित्तीय सहायता, बाजार विकास और गुणवत्ता सुधार उपाय।
 - बुनियादी ढांचे का विकास (जैसे पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, एकीकृत पैक हाउस)।
 - **प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन:**
 - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण।

- जीआई टैगिंग, ट्रेसिबिलिटी और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल।
- क्षमता निर्माण: निर्यातकों, किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण देना।
- वैश्विक बाजार पहुंच: क्रेता-विक्रेता बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय मेले और प्रचार अभियान आयोजित करता है।

स्रोत: [पीआईबी](#)



नारियल विकास बोर्ड

संदर्भ

नारियल विकास बोर्ड (CDB) ने केरल के अंगमाली में विश्व नारियल दिवस मनाया।

नारियल विकास बोर्ड (CDB) के बारे में -

- **स्थापना:** 1981 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन।
- **मुख्यालय:** कोच्चि, केरल।
- **प्रकृति:** नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के तहत वैधानिक निकाय।
- **अधिदेश:**
 - भारत में नारियल की खेती और उद्योग का एकीकृत विकास।
 - उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण, विपणन और निर्यात संवर्धन के लिए समर्थन।
 - नारियल उत्पादों (तेल, पानी, खोल, भूसी, कॉयर, सक्रिय कार्बन, आदि) में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
 - पुनः रोपण, प्रौद्योगिकी सहायता, बाजार संवर्धन और किसान कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन।

अन्य समान बोर्ड			
बोर्ड	मुख्यालय	स्थापित	फोकस फसल
भारतीय कॉफी बोर्ड	बेंगलुरु, कर्नाटक	1942	कॉफी
भारतीय चाय बोर्ड	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1953 (चाय अधिनियम)	चाय
रबर बोर्ड	कोट्टायम, केरल	1947	रबर
भारतीय मसाला बोर्ड	कोच्चि, केरल	1987 (इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय द्वारा)	मसाले (इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, आदि सहित)
तंबाकू बोर्ड	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	1976	तंबाकू
सुपारी और मसाला विकास बोर्ड	कोझिकोड, केरल	1986	सुपारी और चुनिंदा मसाले

स्रोत: [पीआईबी](#)

नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट

संदर्भ

गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय द्वारा हाल ही में SRS सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 जारी की गई।

मुख्य अंश -

- **अशोधित जन्म दर (CBR)**
 - 2022 में 19.1 से घटकर 2023 में 18.4 (प्रति 1,000 जनसंख्या) हो गई।
 - उच्चतम CBR: बिहार (25.8)।
 - न्यूनतम CBR: तमिलनाडु (12)।
- **कुल प्रजनन दर (TFR)**
 - 2023 में घटकर 1.9 हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है।
 - दो वर्षों में पहली गिरावट (2021 और 2022 में TFR 2.0 थी)।
 - उच्चतम TFR: प्रमुख राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार (2.8)।
 - सबसे कम TFR: दिल्ली (1.2)।
- **क्षेत्रीय रुझान**
 - प्रतिस्थापन से अधिक TFR: उत्तरी/मध्य राज्यों में केंद्रित - बिहार (2.8), उत्तर प्रदेश (2.6), मध्य प्रदेश (2.4), राजस्थान (2.3), छत्तीसगढ़ (2.2)।
 - न्यूनतम TFR राज्य: दिल्ली (1.2), पश्चिम बंगाल (1.3), तमिलनाडु (1.3), महाराष्ट्र (1.4)।
- **बुजुर्ग आबादी**
 - 60+ आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 9% से बढ़कर 2023 में 9.7% हो गई।
 - केरल में वृद्धों का अनुपात सबसे अधिक 15% है।
 - सबसे कम: असम (7.6%), दिल्ली (7.7%), झारखंड (7.6%)।
- **2023 में जारी अन्य डेटा**
 - SRS के साथ ही RGI ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) और मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणन (MCCD) की रिपोर्टें भी जारी कीं (वर्ष 2021 और 2022 के लिए, हालांकि विलंब से)।

स्रोत: [द हिंदू](#)

NIRF रैंकिंग, 2025

संदर्भ

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत रैंकिंग 2025 की घोषणा की, जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) को लागू करती है।

मुख्य विशेषताएं – भारत रैंकिंग 2025 -

● समग्र श्रेणी

- आईआईटी मद्रास लगातार 7वें वर्ष (2019-2025) प्रथम स्थान पर बना हुआ है।
- शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हैं:
 - 24 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय
 - 22 निजी डीम्ड विश्वविद्यालय
 - 19 आईआईटी और आईआईएससी
 - 9 निजी विश्वविद्यालय
 - 8 एनआईटी
 - 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय
 - 5 चिकित्सा संस्थान (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत)
 - 4 आईआईएसईआर
 - 1 कॉलेज
 - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI, MoA&FW)

● विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान

- आईआईएससी बेंगलुरु: लगातार 10वें वर्ष (2016-2025) विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर।
- आईआईएससी लगातार 5वें वर्ष (2021-2025) अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भी शीर्ष पर है।

● प्रबंध

- आईआईएम अहमदाबाद लगातार छठे वर्ष (2020-2025) प्रथम स्थान पर रहा।

● चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा

- एम्स दिल्ली: लगातार 8वें वर्ष (2018-2025) मेडिकल में प्रथम स्थान। कुल मिलाकर भी 8वां स्थान।
- एम्स दिल्ली ने पहली बार डेंटल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तथा सविता इंस्टीट्यूट (चेन्नई) को पीछे छोड़ दिया है।

● फार्मसी

- जामिया हमदर्द, नई दिल्ली: लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर।

- कालेज

- हिंदू कॉलेज, दिल्ली: लगातार दूसरे वर्ष प्रथम, मिरांडा हाउस (जो 2017-2023 तक शीर्ष पर था) को प्रतिस्थापित किया।
- शीर्ष 10 कॉलेजों में से 6 दिल्ली से हैं।

- वास्तुकला और योजना

- आईआईटी रुड़की: लगातार 5वें वर्ष (2021-2025) प्रथम।

- कानून

- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु: लगातार 8वें वर्ष (2018-2025) प्रथम।

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- आईएआरआई, नई दिल्ली: लगातार तीसरे वर्ष (2023-2025) प्रथम।

- राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय

- जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता: इस श्रेणी में शीर्ष स्थान (2024 में शुरू किया गया)।

- मुक्त विश्वविद्यालय

- इग्नू, नई दिल्ली: लगातार दूसरे वर्ष (2024-2025) प्रथम।

- कौशल विश्वविद्यालय

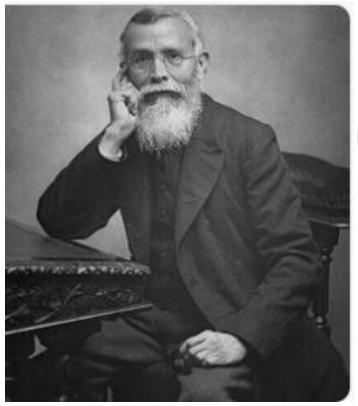
- सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एसएसपीयू), पुणे: लगातार दूसरे वर्ष (2024-2025) प्रथम।

- विशेष श्रेणियाँ

- नवाचार: आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर।
- सतत विकास लक्ष्य (SDG): आईआईटी मद्रास इस श्रेणी में शीर्ष पर है (2025 में शुरू किया गया)।

स्रोत: [पीआईबी](#)

समाचार संक्षेप में

मलक्का जलडमरूमध्य 	समाचार? सिंगापुर ने मलक्का जलडमरूमध्य में गश्त करने की भारत की योजना का समर्थन किया है। जलडमरूमध्य के बारे में - ● अवस्थिति: मलय प्रायद्वीप (मलेशिया) और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच पानी का संकीर्ण विस्तार। ● महत्त्व: ○ विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक - वैश्विक व्यापार का लगभग 25% हिस्सा वहन करता है। ○ मध्य पूर्व से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तक तेल और गैस शिपमेंट का प्रमुख मार्ग।
दादाभाई नौरोजी (1825-1917) 	समाचार? इस वर्ष दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती है। उनके बारे में - ● “भारत के वृद्ध पुरुष” (Grand Old Man of India) के नाम से प्रसिद्ध। ● भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के संस्थापकों में से एक (1885)। ● ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय (1892, लंदन के फिन्सबरी से लिबरल पार्टी के सांसद)। ● प्रसिद्ध “धन-निकासी सिद्धांत” (Drain of Wealth Theory) के प्रवर्तक, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। ● Poverty and Un-British Rule in India (1901) नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक। ● संवैधानिक सुधारों, शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के समर्थक। ● तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे (1886, 1893, 1906)। ● 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने “स्वराज” (स्व-शासन) की मांग की, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रारंभिक दिशा दी। स्रोत: स्क्रॉल.इन

मुख्य परीक्षा

भारतीय सशस्त्र बलों का थियेटराइजेशन

संदर्भ

हाल ही में आर्मी वॉर कॉलेज, महू में संपन्न त्रि-सेवा सेमिनार (रण संवाद 2025) ने थिएटर कमांड पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

थियेटराइजेशन क्या है?

- थियेटराइजेशन एक प्रमुख रक्षा सुधार है, जिसका उद्देश्य भूगोल या शत्रुओं के आधार पर थलसेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत कमान के अंतर्गत लाना है।
- अलग-अलग, सेवा-विशिष्ट कमांड के तहत काम करने के बजाय, किसी विशेष "थिएटर" (संचालन का क्षेत्र) में सभी बलों और परिसंपत्तियों की कमान एक ही थिएटर कमांडर के पास होगी, जिससे संयुक्त योजना, संयुक्त संचालन और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा।
- वर्तमान में:
 - सेना → 7 कमान
 - भारतीय वायुसेना → 7 कमान
 - नौसेना → 3 कमान
 - 2 त्रि-सेवा कमान पहले से ही मौजूद हैं: अंडमान और निकोबार कमान (ANC) और सामरिक बल कमान (SFC)।

थियेटराइजेशन की आवश्यकता क्यों है?

- युद्ध की बदलती प्रकृति: भविष्य के युद्ध बहु-क्षेत्रीय होंगे: भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष।
 - उदाहरण: संघर्ष में ड्रोन, उच्च परिशुद्धता वाली मिसाइलें, साइबर हमले, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और एक साथ भूमि युद्ध शामिल हो सकते हैं → जिसके लिए निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है।
- बेहतर एकीकरण और दक्षता: वर्तमान में, सेवाएँ अक्सर अलग-अलग काम करती हैं, जिससे संसाधनों का दोहराव होता है और प्रतिक्रिया धीमी होती है। थिएटराइजेशन, एकीकृत कमान के तहत संसाधनों के एकीकरण और त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है।
- अतीत के सबक से सीखना: कारगिल युद्ध (1999) ने संयुक्त योजना और समन्वय में अंतराल को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यालय IDS का निर्माण हुआ, लेकिन बाध्यकारी परिचालन संरचना के बिना।

- **सीमित संपत्तियों का इष्टतम उपयोग:** भारत के पास महत्वपूर्ण संपत्तियों (जैसे, लड़ाकू विमान, अवाक्स, ड्रोन) की कमी है। इन्हें विभिन्न कमानों में बाँटने से समग्र क्षमता कमजोर होती है; थिएटर कमानों के अंतर्गत एकीकरण से केंद्रीकृत आवंटन संभव होता है।
- **सामरिक महत्वाकांक्षाएं:** चूंकि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति बनने और बड़े खेल/रणनीतिक आयोजनों (जैसे राष्ट्रमंडल या ओलंपिक) की मेजबानी करने की आकांक्षा रखता है, इसलिए विश्वसनीय रक्षा एकीकरण से निवारण और वैश्विक छवि में वृद्धि होती है।

थियेटराइजेशन को लागू करने में चुनौतियाँ -

- **संस्थागत प्रतिरोध:** 70 से ज्यादा वर्षों से चली आ रही सेना-विशिष्ट कमान संरचनाओं को खत्म करना मुश्किल है। हर सेना को अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण और संचालनात्मक स्वायत्तता खोने का डर है।
- **भारतीय वायुसेना की चिंताएं:**
 - दुर्लभ परिसंपत्तियों (लड़ाकू विमान, AWACS, टैंकर) के कई थिएटरों में विभाजित होने का खतरा है।
 - भारतीय वायुसेना का कहना है कि वायु शक्ति एक रणनीतिक, स्वतंत्र शाखा है, न कि केवल सहायक।
 - पूर्व वायुसेना प्रमुखों (आर.के.एस. भदौरिया, वी.आर. चौधरी और वर्तमान ए.सी.एम. ए.पी. सिंह) ने सैद्धांतिक कमजोरीकरण से बचने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- **सैद्धांतिक और परिचालन संबंधी मुद्दे:** यदि कमान संरचनाएँ अत्यधिक केंद्रीकृत हैं, तो निर्णय लेने की लंबी श्रृंखला का जोखिम। विभिन्न थिएटरों के लिए प्रमुख सेवा उत्तरदायित्व पर स्पष्टता का अभाव।
- **राजनीतिक और कानूनी जटिलताएं:** अंतिम अनुमोदन सरकार के पास है, जिसे नागरिक-सैन्य नियंत्रण, बजट बाधाओं और अंतर-सेवा असहमति को संतुलित करना होगा।
- **संक्रमण और प्रशिक्षण लागत:** मुख्यालयों का स्थानांतरण, कमान श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, कार्मिकों का पुनः प्रशिक्षण → भारी वित्तीय और संगठनात्मक बोझ।

EVOLUTION OF THE IDEA IN INDIA

1947-1999	Services operated independently under their chiefs; no unified framework
POST-KARGIL WAR (1999)	Kargil Review Committee and Group of Ministers (2001) recommended greater jointness and integrated theatre commands
2019 (PM MODI'S INDEPENDENCE DAY SPEECH)	Announced creation of Chief of Defence Staff (CDS) to ensure synergy Union Cabinet approved the CDS post and creation of the Department of Military Affairs (DMA) to promote jointness and restructure commands
DEC 2019	Gen Bipin Rawat (first CDS): proposed 4 theatre commands - Air Defence, Maritime, and two land commands (East & West)
AFTER GEN RAWAT'S DEATH (DEC 2021)	Successor Gen Anil Chauhan revived discussions; IAF concerns led to new proposals of adversary-specific theatre commands: NORTHERN/EASTERN THEATRE → CHINA WESTERN THEATRE → PAKISTAN MARITIME THEATRE → INDIAN OCEAN

सरकार के अब तक के कदम -

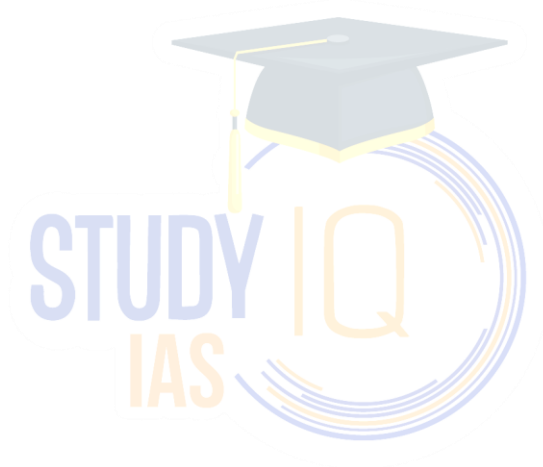
- सीडीएस और डीएमए का निर्माण (2019): सुधारों के लिए संस्थागत आधार।
- संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड्स: मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में स्थापित।
- संयुक्त संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं के बीच क्रॉस-पोस्टिंग।
- मुख्यालय आईडीएस के अंतर्गत संयुक्त खरीद एवं प्रशिक्षण पहल।
- दो मौजूदा त्रि-सेवा कमान: ANC(2001) और SFC(2003)।
- थिएटर कमांड के प्रस्तावों पर सक्रिय विचार-विमर्श किया जा रहा है; संशोधित विरोधी-आधारित संरचना पर विचार किया जा रहा है।
 - सरकार ने अभी तक अंतिम थियेटर कमान संरचना को मंजूरी नहीं दी है।

आगे की राह -

- चरणबद्ध कार्यान्वयन: एक या दो पायलट थिएटर कमांड (जैसे, समुद्री, उत्तरी सीमा) से शुरू करना → धीरे-धीरे विस्तार करना।
- आम सहमति बनाना: विभिन्न थिएटरों में वायु संपत्तियों का लचीला आवंटन सुनिश्चित करके भारतीय वायुसेना की चिंताओं का समाधान करना। भूमिकाओं को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट सैद्धांतिक ढाँचा बनाना।
- विधायी एवं नीतिगत समर्थन: थिएटर कमांडों को वैधानिक समर्थन देने तथा राजनीतिक चक्रों से परे निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सुधार अधिनियम लागू करना।
- क्षमता निर्माण: भारत की लड़ाकू परिसंपत्तियों (लड़ाकू विमान, यूएवी, नौसैनिक जहाज, साइबर/अंतरिक्ष इकाइयाँ) का विस्तार करना ताकि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव न पड़े।
- संयुक्त प्रशिक्षण एवं संस्कृति: संयुक्तता की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त अकादमियों की स्थापना करना।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: साइबर, एआई, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और बहु-डोमेन परिचालनों पर ध्यान केंद्रित करना; सुनिश्चित करना कि थिएटर कमांड भविष्य के लिए तैयार हों।

वैश्विक उदाहरण -

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** एकीकृत लड़ाकू कमान (जैसे, सेंटकॉम, अफ्रीकॉम, इंडोपैकोम) भौगोलिक क्षेत्रों में सभी सेवाओं को एकीकृत करते हैं।
- **चीन:** 2016 में अपनी PLA में सुधार किया, तथा पांच थिएटर कमांड (पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, मध्य) बनाए।
- **रूस:** क्षेत्रीय थिएटरों में सेना, नौसेना और वायु सेनाओं को एकीकृत करने वाली संयुक्त रणनीतिक कमान है।
- **भारत के लिए सबक:** थिएटर कमान प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं, संसाधनों और भूगोल के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, न कि आँख मूंदकर नकल की जानी चाहिए।



डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वाणिज्यिक भाषण का विनियमन

संदर्भ

अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया विनियमन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करे, जिसमें नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) से परामर्श लिया जाए। यह मामला एक स्टैंड-अप कॉमेडी स्किट से जुड़ा था, जिसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) से ग्रस्त व्यक्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और जिसके चलते महाराष्ट्र व असम में एफआईआर दर्ज हुईं।

विनियमन की आवश्यकता -

- **कमजोर समूहों को निशाना बनाया गया:** हास्य या व्यंग्य दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं या अल्पसंख्यकों के खिलाफ रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे सकता है।
- **बढ़ा हुआ प्रभाव:** डिजिटल प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे निजी भाषण की तुलना में सामाजिक नुकसान बढ़ जाता है।
- **लाभ-प्रेरित भाषण:** मुद्राकरण से सनसनीखेज और उत्तेजक सामग्री को बढ़ावा मिलता है, अक्सर संवेदनशीलता की कीमत पर।
- **सार्वजनिक व्यवस्था की चिंता:** अपमानजनक या विभाजनकारी सामग्री अशांति पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्यों में दर्ज अनेक एफआईआर में देखा गया है।
- **जवाबदेही का अंतर:** प्लेटफॉर्म भाषण की मेजबानी करते हैं, लेकिन हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करने या हटाने में हमेशा पारदर्शी नहीं होते हैं।

मौजूदा नियामक ढांचा -

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - अनुच्छेद-19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
 - अनुच्छेद-19(2) विशिष्ट आधारों पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है: संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, मानहानि, आदि।
 - गरिमा कोई स्वतंत्र आधार नहीं है, बल्कि इसे मानहानि और शालीनता धाराओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित किया जाता है।
- **कानूनी शर्तें:**
 - भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: मानहानि, घृणास्पद भाषण और उत्तेजना को दंडित करता है।
 - आईटी अधिनियम, 2000:
 - धारा 69A संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है।
 - ब्लॉकिंग नियम, 2009 एक तंत्र प्रदान करता है, यद्यपि यह अस्पष्ट है।

- अन्य कानून: आपराधिक मानहानि, अश्लीलता कानून और एफआईआर तंत्र उपलब्ध हैं।
- न्यायिक मिसालें
 - सकल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962) - प्रसार की स्वतंत्रता मुक्त भाषण का हिस्सा है।
 - टाटा प्रेस बनाम एमटीएनएल (1995) - वाणिज्यिक विज्ञापनों को मुक्त भाषण के रूप में संरक्षित किया गया।
 - सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) - सम्मान की रक्षा के लिए आपराधिक मानहानि को बरकरार रखा गया।
 - इमरान प्रतापगढ़ी मामला (2025) - न्यायालय ने माना कि मुक्त भाषण में आपत्तिजनक या परेशान करने वाले विचार शामिल हैं।

विनियमन में चुनौतियाँ -

- मानकों की अस्पष्टता: "गरिमा" जैसे आधार अपरिभाषित और व्यक्तिपरक हैं, जिसके कारण मनमाने ढंग से सेंसरशिप होती है।
- प्रवर्तन में अस्पष्टता: आईटी अधिनियम की धारा-69A के तहत सामग्री हटाने की कार्रवाई अक्सर सामग्री निर्माताओं को सूचित किए बिना की जाती है, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
- मुक्त अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव: अत्यधिक विनियमन हास्य कलाकारों, व्यंग्यकारों और कलाकारों को हतोत्साहित करता है, तथा रचनात्मकता और आलोचना को कमजोर करता है।
- न्यायिक अतिक्रमण और संस्थागत सीमाएं: न्यायालय द्वारा कार्यपालिका को नियम बनाने का निर्देश देने से शक्तियों का पृथक्करण धुंधला होने का खतरा रहता है और ऐसे विनियमों को अतिरिक्त वैधता मिल जाती है।
- बहुपक्षीय न्यायपालिका: विभिन्न पीठों द्वारा अलग-अलग टिप्पणियां अनिश्चितता पैदा करती हैं; परस्पर विरोधी निर्णय कानून में स्पष्टता को कम करते हैं।
- बहिष्करण परामर्श: प्रायः, विनियामक ढांचे उद्योग लॉबी से परामर्श करते हैं, लेकिन सीधे प्रभावित होने वाले रचनाकारों, नागरिक समाज और कमजोर समूहों को बाहर कर देते हैं।

आगे की राह -

- मौजूदा तंत्र को मजबूत करना: आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई में पारदर्शिता में सुधार - अनिवार्य नोटिस, अपील का अवसर, और आदेशों का प्रकाशन।
- अतिक्रमण से बचना: प्रतिबंधों को अनुच्छेद-19(2) के अंतर्गत रखना; "गरिमा" जैसे अस्पष्ट आधारों को स्वतंत्र सीमा के रूप में जोड़ने से बचना।
- रचनात्मकता की सुरक्षा करना: व्यंग्य, कला और हास्य के लिए स्थान की रक्षा करना जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं, साथ ही लक्षित दुर्व्यवहार को संबोधित करते हैं।
- समावेशी परामर्श: प्रसारकों के साथ-साथ क्रिएटर्स, दिव्यांगता अधिकार समूहों, नागरिक समाज और डिजिटल अधिकार विशेषज्ञों को भी शामिल करना।

- **संस्थागत स्पष्टता:** विनियमन कार्यपालिका द्वारा संसदीय निगरानी के साथ होना चाहिए, न कि न्यायिक रूप से अनिवार्य ढांचे के साथ।
- **समीक्षा और निरीक्षण तंत्र:** निष्कासन की निगरानी, दुरुपयोग को रोकने और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड स्थापित करना।

वैश्विक मॉडल -

- **यूरोपीय संघ:** डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA, 2022) हानिकारक सामग्री के लिए एल्गोरिथम पारदर्शिता, जवाबदेही और भारी जुर्माना (वैश्विक कारोबार का 6% तक) अनिवार्य करता है।
- **ऑस्ट्रेलिया:** ई-सेफ्टी कमिश्नर ऑनलाइन नुकसान की निगरानी कर रहा है; प्लेटफार्मों को अपमानजनक सामग्री के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

